

कृषि एवं बनारोपण के लिये सुधार के योग्य कन्दरायुक्त भूमियों के चुनाव के हेतु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्यों में 1967-68 के अन्त तक 9.43 लाख एकड़ के क्षेत्र पर भूमि सर्वेक्षण कर दिये गये हैं। गुजरात में कन्दरायुक्त भूमि के 9.32 लाख एकड़ क्षेत्र पर हवाई फोटोग्राफी भी हो गई है। उसी अवधि के दौरान, खेती के लिये 31,000 एकड़ से अधिक भूमि का कन्दरा सुधार कर दिया है। 1.40 लाख एकड़ क्षेत्र के ऊपर कन्दरा भूमि का बनारोपण भी पूर्ण कर दिया है।

विभिन्न राज्यों में कन्दरा सर्वेक्षण और सुधार गतिविधियों को समन्वित करने के लिये केन्द्रीय रैबिन रिक्लेमेशन बोर्ड निमित्त किया गया है और उपरोक्त चार राज्यों में प्रचुर मात्रा में कन्दरा सुधार की तकनीकी एवं आर्थिक सम्भाव्यता को स्थापित करने के लिये प्रत्येक राज्य में 10,000 एकड़ वाली मार्गदर्शी प्रयोजना का निर्माण हो रहा है।

कर्मचारी भविष्य निधि

* 763. श्री हुकम चन्द कछबाय : क्या अम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स डायर्स स्टोन लाइम कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, मैसर्स लाइम एंड रिफ़ैक्टर्ज (प्राइवेट) लिमिटेड, बम्बई तथा मैसर्स इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर्स (प्राइवेट) लिमिटेड, कटनी ने गत कई वर्षों से अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि जमा नहीं कराई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि मजूरी बोर्ड पंचाट के अनुसार वे अपने कर्मचारियों को सुविधायें प्रदान नहीं कर रहे हैं ;

(ग) इन फर्मों में स्थायी तथा अस्थायी कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि ये फर्मों लोगों को बहुत समय तक काम पर नहीं रखती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटाया गया तथा कितने व्यक्तियों ने त्यागपत्र दिया ?

अम तथा पुनर्वासि मंत्री (श्री हाथी) :

(क) से (ङ) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

कालकाजी कालोनी (दिल्ली) में विस्थापित व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

* 764. श्री जगन्नाथराव जोशी :

श्री भारत सिंह चौहान :

क्या अम तथा पुनर्वासि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों ने सरकार को यह प्रार्थना की थी कि कालकाजी कालोनी, दिल्ली में उन्हें दी गयी भूमि के किराये तथा मूल्य को कम कर दिया जाये ;

(ख) क्या सरकार ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ?

अम, रोजगार तथा पुनर्वासि मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री बा० रा० चहलान) : (क) से (ग). एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।